वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रात्रि सफारी हेतु दिशा–निर्देश

- ✓ दिनांक 04.03.2021 से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रात्रि सफारी का प्रारंभ प्रदेश में सर्वप्रथम हो रहा है। प्रतिदिवस रात्रि 7.00 बजे से 8.00 बजे, 8.00 से 9.00 बजे तक एवं 9.00 बजे से 10.00 बजे तक कुल तीन सफारी पर्यटकों को उपलब्ध हो सकेंगी। प्रत्येक सफारी ट्रिप के मध्य 10 मिनट का अंतराल रहेगा।
- ✓ सफारी हेतु बुकिंग सफारी दिवस के दिन अपरान्ह 4.00 बजे तक एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट www.forest.mponline.gov.in पर अथवा प्रवेश द्वार क्र. 2 पर टिकिट प्राप्त कर की जा सकेगी। अग्रिम बुकिंग केवल एम.पी.ऑनलाईन पर सफारी करने के दिवस के सात दिन पूर्व भी की जा सकेगी।
- ✓ टिकिट बुकिंग हो जाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में टिकिट निरस्त अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी। आवंटित समय में ही सफारी की पात्रता होगी। पर्यटक विलम्ब से पहुंचने के लिये स्वयं जबावदार होगा एवं सफारी हेतु उसका इंतजार नहीं किया जावेगा।
- ✓ वाहन आदि की पार्किंग स्वयं की जबावदारी पर वन विहार प्रवेश द्वार क्रमांक 2 के बाहर कर सकेंगे। वन विहार के अंदर प्रवेश करने पर पूर्व से प्रचलित दर के अनुसार शुल्क लिया जावेगा।
- ✓ एक सफारी में अधिकतम 6 व्यक्ति भ्रमण कर सकेंगे।
- ✓ पर्यटकों से रात्रि सफारी हेतु ली जाने वाली दरों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	विवरण	दर
1	**व्यस्क पर्यटक (12 वर्ष से अधिक उम्र के)**	**200/–**
2	**05 से 12 वर्ष तक की आयु वर्ग के पर्यटक**	**100/–**
3	**05 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे**	**निशुल्क**

न्यूनतम राशि 500/– भुगतान कर अन्य पर्यटकों के न होने पर एक व्यक्ति भी सफारी भ्रमण कर सकेगा।

- ✓ कोविड–19 के सम्बंध में राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।
- ✓ सफारी ट्रेक की कुल लम्बाई लगभग 13 कि.मी. होगी, जिसमें लगभग 8 कि.मी. पहाड़ी क्षेत्र एवं लगभग 5 कि.मी. मुख्य मार्ग/मैदानी क्षेत्र होगा।
- ✓ पर्यटकों को बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा ज्वलनशील/टार्च आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- ✓ सफारी के दौरान पहाड़ी बाबा पर 10 मिनट का हॉल्ट रहेगा, जहॉ पर्यटक वन विहार एवं भोपाल के रात्रि कालीन सौंदर्य का अवलोकन कर सकेंगे।
- ✓ किसी भी प्रकार के संगीत, शोरगुल, वन्यप्राणियों को छेड़ना आदि की अनुमति नहीं होगी। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी, जिसमें न्यायालयीन/जुर्माने की राशि पर्यटक से बसूल की जा सकेगी।
- ✓ पहाड़ी बाबा के अतिरिक्त किसी भी स्थल पर पर्यटक को सफारी वाहन से नीचे उतरने की अनुमति नहीं होगी।
- ✓ वाहन चालक एवं गाईड के रूप में संलग्न कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार

संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल